

16-02-2019

अतः प्रस्तुत चालान खारिज किया जाने योग्य है।
आदेश परिवादी चालान अन्तर्गत 258 खारिज
किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल
अभिलेखागार हो।

सीजेएम—मेरठ।

This is uncertified copy for information/reference. For
authentic copy please refer to certified copy